



2026:AHC:172184

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध अग्रिम जमानत धारा 482 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत आवेदन संख्या

- 8060 वर्ष 2026

राजन एवं एक अन्य

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : अजय कुमार श्रीवास्तव

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला,

1. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया।
2. वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन आवेदकगण की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 155 वर्ष 2026, धारा 191(1), 191(3), 126(2), 109(1), 352, 121(1), 121(2), 132, 125, 125-ए, 125-बी भारतीय न्याय संहिता तथा आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम की धारा 7, थाना-चोलापुर, जनपद- वाराणसी में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें आवेदकगण को अग्रिम जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गई है, क्योंकि आवेदकगण को उपर्युक्त मामले में अपनी गिरफ्तारी की आशंका है।
3. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदकगण को वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदकगण को नौ अन्य नामजद अभियुक्तों तथा चालीस से पचास अज्ञात व्यक्तियों के साथ नामजद किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में मारपीट के सामान्य आरोप लगाए गए हैं। पुलिसकर्मियों पर भीड़ द्वारा हमला किया जाना बताया गया है, अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जिन्होंने अभियुक्तगण को बिना किसी भेदभाव के नामजद किया है। इसी प्रकार की स्थिति वाले सह-अभियुक्त श्रीमती सुखा देवी एवं श्रीमती सगीना को इस न्यायालय द्वारा **आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन धारा 482 बी.एन.एस.एस. संख्या 7597 वर्ष 2026 एवं 7811 वर्ष 2026** में अग्रिम जमानत प्रदान की गई है। पुलिस कर्मियों को प्राप्त चोटों में से किसी को भी जीवन के लिए घातक नहीं बताया जा सकता है। आवेदकगण का एक मामले का आपराधिक इतिहास है, तथापि वे पूर्व दोषसिद्ध नहीं हैं।

4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना का विरोध किया, तथापि आवेदकगण की आयु के संबंध में कोई विवाद नहीं किया।

5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर विचार किया है।

6. आवेदकगण को सामान्य भूमिका सौंपी गई है। इसी प्रकार की स्थिति वाले सह-अभियुक्त श्रीमती सुखा देवी एवं श्रीमती सगीना को इस न्यायालय द्वारा **आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन धारा 482 बी.एन.एस.एस. संख्या 7597 वर्ष 2026 एवं 7811 वर्ष 2026** में पहले ही अग्रिम जमानत प्रदान की जा चुकी है। आवेदकगण का एक मामले का आपराधिक इतिहास है। वे पूर्व दोषसिद्ध नहीं हैं।

7. उपर्युक्त के दृष्टिगत, आवेदकगण का अग्रिम जमानत आवेदन **स्वीकृत** किया जाता है।

8. आवेदकगण **राजन** एवं **साजन** की गिरफ्तारी की स्थिति में, उन्हें उपर्युक्त मुकदमा अपराध में तत्काल अग्रिम जमानत पर, संबंधित थाने के थाना प्रभारी/संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर समान धनराशि के उनके व्यक्तिगत बंधपत्र एवं जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन रिहा किया जाएगा :-

i. आवेदकगण जब भी आवश्यक हो, पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएंगे;

ii. आवेदकगण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को ऐसा कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देंगे, जिससे वे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हों;

iii. आवेदकगण न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेंगे;

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



iv. आवेदकगण अभियोजन साक्षी पर दबाव नहीं डालेंगे/उसे भयभीत नहीं करेंगे।

9. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, संबंधित न्यायालय को जमानत निरस्त करने की स्वतंत्रता होगी।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त की गई टिप्पणियाँ केवल वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन के निर्णय के प्रयोजनार्थ हैं और इन्हें मामले के गुण-दोष पर राय नहीं माना जाएगा।

14 अगस्त, 2026

ए. पाण्डेय

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।